संख्या-325/2017/1873/22-2-2016-17(24)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 26 अप्रैल, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश पुत्र श्री शिवचन्द्र, निवासी जनपद-झांसी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3(एम-06-09-2016) दिनांक 26.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी दिनेश पुत्र श्री शिवचन्द्र, ग्राम-पठारी रक्सा, थाना-रक्सा, जनपद-झांसी का निवासी है। दिनांक 16.10.2001 को बन्दी, 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पैसे के लेन-देन को लेकर हरदयाल को बुलाकर अपने घर ले गया, हरदयाल की हत्या कर दी व मृतक की घडी, सोने की अंगूठी व मोटर साईकिल लेकर भाग गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-12/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 394 में मा0 विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झांसी के आदेश दिनांक 06-02-2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.01.2016 तक 14 वर्ष 01 माह 29 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 01 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि पैसे के लेन देन को लेकर हरदयाल नामक व्यक्ति को बलाकर अपने घर ले गया और हरदयाल की हत्या कर दी। मृतक की घडी, सोने की अंगूठी व मोटर साईकिल लेकर भाग गया। बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दिनेश पुत्र श्री शिवचन्द्र, निवासी जनपद-झांसी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी दिनेश (बन्दी संख्या-9344) पुत्र श्री शिवचन्द्र, निवासी जनपद-झांसी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-325/2017/1873(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-झांसी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-325/2017/1873@22-2-2016-17(24)/2017

दिनांक 26 अप्रैल, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी दिनेश (बन्दी संख्या-9344) पुत्र श्री शिवचन्द्र, ग्राम-पठारी रक्सा, थाना-रक्सा, जनपद-झांसी का निवासी है। दिनांक 16.10.2001 को बन्दी, 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पैसे के लेन-देन को लेकर हरदयाल को बुलाकर अपने घर ले गया, हरदयाल की हत्या कर दी व मृतक की घडी, सोने की अंगूठी व मोटर साईकिल लेकर भाग गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-12/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 394 में मा0 विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झांसी के आदेश दिनांक 06-02-2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.01.2016 तक 14 वर्ष 01 माह 29 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 01 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि पैसे के लेन देन को लेकर हरदयाल नामक व्यक्ति को बलाकर अपने घर ले गया और हरदयाल की हत्या कर दी। मृतक की घडी, सोने की अंगूठी व मोटर साईकिल लेकर भाग गया। बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दिनेश पुत्र श्री शिवचन्द्र, निवासी जनपद-झांसी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।